

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज          प्र.सं. - 25/2024 प्रवणलाल वर्मा / ग्रा.पं. धाकड़ी को</p>	<p>नम्बर व तारीख अपील          जो इस हुक्म को रद्द करने          में जारी हुए</p>
<p>7/11/25</p>	<p>पत्रावली पत्रा 321          उक्त स्थान प्रार्थना - पत्र मूल सिंगरती के स्वयं लिखे 4/11/25          को पत्र हो  <b>अति. जिला कलेक्टर          पाली (राज.)</b></p>	
<p>4/11/2025</p>	<p>(पत्रा 421/2025) 12 नवम्बर को मध्य          दिनांक 25/11/2025 को पेश हो।  <b>अति. जिला कलेक्टर, पाली</b></p>	
<p>25/11/25</p>	<p><b>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इस्तवा          होकर पत्रावली दिनांक 16/12/25 को पेश हो।</b></p>	
<p>16/12/25</p>	<p>पत्रावली पत्रा हुई          वकील शर्मा ने दस्तगत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने          हेतु नोट प्रिस किया है। जब वकील शर्मा स्वयं ही          तबे-बात-घीस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो          ऐसी स्थिति में इसे लगातार चलाने का कोई अर्थोपेय          नहीं रह जाता है अतः उक्त प्रार्थना-पत्र वकील शर्मा          की सहमति से जारी नोट-प्रेस खारेज किया जाता          है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्विधि की जाकर बाद          तकमील संख्या से एक कम लेकर मूल पत्रावली के          संलग्न नल्ही लेकर दाखिल दफ्तर हो  <b>अति. जिला कलेक्टर, पाली</b></p>	<p>1168          Pmt.          M. A. 2025</p>